संख्या- 60 556(2) /न्याय विभाग/2003

प्रेषक, बी0 लाल,

सचिव,न्याय एवं विधि परामर्शी,

उत्तरांचल शासन

सेवा में,

महाधिवक्ता,

उत्तरांचल,

मा0 उच्च न्यायालय परिसर,

नैनीताल ।

देहरादून : दिनांक- 23 अक्टूबर,2003

न्याय अनुभाग :

विषय :मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ताओं द्वारा शासन से निर्गत आदेशों के अनुसार पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दायर न किया जाना व न ही मा0 न्यायालय में चल रहे केसेज के सम्बन्ध में गम्भीरता से अनुश्रवण किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में आबकारी विभाग के केसेज में श्री सुभाष उपाध्याय, ब्रीफ होल्डर द्वारा विभाग को गुमराह किये जाने व दिनांक-10-10-2003 के मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की सूचना दिनांक-16-10-2003 से पूर्व शासन के प्रशासकीय विभाग को न दिये जाने पर सरकारी अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

अत:इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ताओं द्वारा शासन से निर्गत आदेशों के अनुसार पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दायर न किये जाने व न ही मा0 उच्च न्यायालय में चल रहे केसेज के सम्बन्ध में गम्भीरता से अनुश्रवण किये जाने के बिन्दु पर अपनी जाँच आख्या तत्काल शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(बी0 लाल)

सचिव ।